कपूरी सिंह ठाकुर विरूद्ध रामसिंह आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.एन./10–4/आर/854/94 जिला -- सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 319/93–94 में पारित आदेश दिनांक 30.6.94 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी को समयबाधिता के आधार पर ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त किया गया है । 2-- प्रकरण में सुनवाई दिनांक 13--5--14 को उभयपक्षों को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने हेतु समय दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनाक तक लिखित तर्क पेश नहीं किये गये हं । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 3-- आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण आलोच्य आदेश द्वारा विलंब क्षमा न किए जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में नियत दिनांक को आदेश पारित किया जाकर अधिवक्ता की उपस्थिति आदेश पत्रिका में वर्णित है और ऐसी स्थिति में उन्हें आदेश की जानकारी उस दिनांक को हो गई यह माना जायेगा । उक्त निष्कर्ष जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में दिए हैं वे विधिसम्मत हैं । आवेदक का यह तर्क कि उसे पहले किसी दूसरे आदेश की प्रति दी गई इसलिए पुनरीक्षण में विलंब हुआ है, समाधानकाकर नहीं माना जा सकता । आयुक्त का उक्त आदेश विधिसम्मत उचित होकर पुष्टि योग्य है और पुनरीक्षण में उसके विरुद्ध कोई ठोस आधार न होने से यह पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर	

न्यायालय माननीय राजस्व

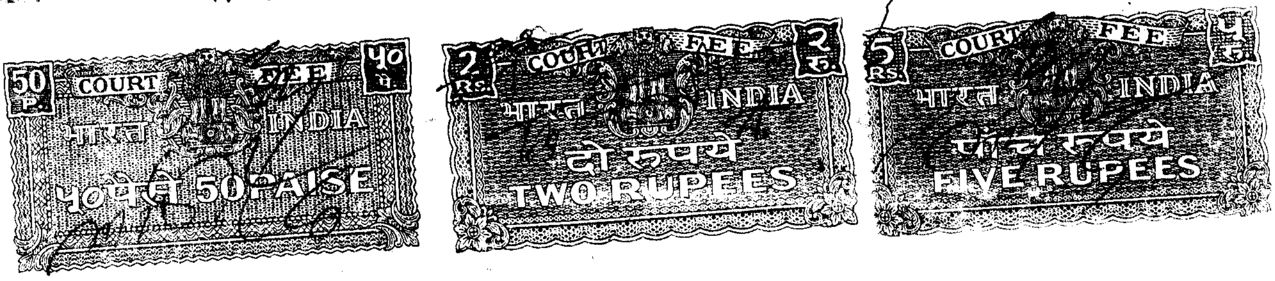

1- फुलेल सिंह, } पिता बलिराज सिंह, साकिन मौरा,

2- पीताम्बर सिंह, } तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी

म०प्र० ------ निगरानीकर्तागण

RH/10-4/R/854/94

बनाम

बृजनन्दन सिंह तनय नवेदा सिंह, साकिन मौरा, तहसील राम

पुर नैकिन, जिला सीधी म०प्र० -- ~~उत्तरवादी~~